ckfydk ;kSu 'kks"k.k % ,d ledkyhu v/;;u

(आगरा जिले के विशेष सन्दर्भ में)

दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय)

के अन्तर्गत पीएच०डी० (राजनीतिशास्त्र) की

उपाधि हेतु प्रस्तावित

रूपरेखा

'kks/k funsZ'kd

Mkå fiz;adk flag
असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीतिशास्त्र)
समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग
समाज विज्ञान संकाय

'kks/kkfFkZuh

Hkkouk pkS/kjh

lekt'kkL= ,oa jktuhfr foKku foHkkx] lekt foKku ladk;

n;kyckx ,tqds'kuy bULVhV~;wV] ¼MhEM ;wfuoflZVh½

n;kyckx] vkxjk & 282005

2020

iLrkouk&

भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं रही है। पुरुष सत्तात्मक समाज हमेशा से महिलाओं को केवल भोग विलास की वस्तु समझता आया है और महिलाओं को घर में चारदीवारी तक रखना अपना बड़प्पन समझा जाता था और आज भी वर्तमान समय में बालिकाओं के साथ शोषण की घटना देखने को मिलती है। बाल यौन शोषण की समस्या देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखने को मिलती है। यह समस्या शोषण के कई रूप में एक विश्वव्यापी गंभीर समस्या बन गई है। जिसके कारण बालिकाओं पर शोषण के घातक रूप सामने देखने को मिलते हैं जैसे– बलात्कार, मानसिक शोषण यौन शोषण इत्यादि। जिसमें मध्यम वर्ग ही नहीं बल्कि उच्च वर्ग भी प्रभावित है जो इस अमानवीय अपराध का कारण बनती है।

fdlh Hkh ckfydkvks ij iR;{k ;k viR;{k :Ik ls 'kkjhfjd ;k ekufld pkV igqpkuk gh ckfydkvks ds f[kykQ vijk/k dgykrk gSA

'kks"k.k ls rkRi;Z&

शोषण से तात्पर्य कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कष्ट या दुःख उत्पन्न हो अथवा हानिकारक हो वह शोषण कहलाता है। शोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं– 1. शारीरिक शोषण एवं 2. मानसिक शोषण। शोषण पीड़ादायक एवं अनुचित कार्य है इसलिये यह अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध की श्रेणी होने के पश्चात् भी सबसे अधिक किया जाने वाला कृत्य है। शोषण अपराध की ईकाई है क्योंकि शोषण करने की प्रवृत्ति ही इन्सान की मानसिकता में अपराध को बढ़ावा देती है।

Ckky 'kks"k.k &

बाल शोषण एक ऐसी समस्या है जो बच्चो को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। उसे बाल शोषण कहा जाता है जिसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिक बच्चों के साथ दुर्व्यवहार में यौनिक एक शारीरिक शोषण को शोषण समझा जाता है। जबकि मानसिक व भावनात्मक स्तर पर होने वाला शोषण भी बच्चों के जीवन पर प्रभाव डालता है। बाल शोषण केवल बलात्कार या गंभीर यौन अघात तक ही सीमित नही हैं बल्कि बच्चों को यौनिक कृत्य दिखाना, अनुचित रूप से बाते

करना, छूना, यौन कृत्य के लिए उन्हें मजबूर करना चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाना आदि शोषण के अन्तगर्त आते हैं।

ckfydk ;kSu 'kks"k.k&

भारत में सर्वोच्च न्यायालय में यौन शोषण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा यौन शोषण कई प्रकार से होता है– ''गलत मनोभावो, वार्तालाप से'' gkujh dEi d vu|Ikj, बाल यौन शोषण में बच्चों को उन गतिविधियों में लिप्त होना जिसे वह जानते भी नहीं और जिसके लिए वह सहमति नहीं दे सकते है जो व्यक्ति अपनी स्वयं की यौन संतुष्टि के लिए नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण करता या किसी अन्य व्यक्ति से करवाना बालिका यौन शोषण कहलाता है जिसके दो प्रकार है। बालिका बलात्कार (मानसिक व शारीरिक यौन शोषण) किसी भी पुरुष द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग बच्ची से उसकी सहमति या बिना सहमति से यौन सम्बन्धी गतिविधियाँ करना बालिका बलात्कार की श्रेणी के अन्तगर्त आता है। जिसमें उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से आघात पहुँचाता है।

cky n|0;Zogkj dh fLFkfr&

- विश्व स्वास्थ्य संगठन 2002 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के 7.9 प्रतिशत लड़के एवं 19.7 प्रतिशत लड़कियाँ यौन शोषण की शिकार हुई है।
- 2007 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत के 13 राज्यों में किये गये अध्ययन में 21 प्रतिशत लोगों ने बचपन में गम्भीर यौन शोषण की बात कही जिसमें लड़कियों की संख्या अधिकतम पायी गयी।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार 2011 में बाल यौन शोषण के 33098 मामले दर्ज किये गये जिसमें कम उम्र की बच्चियों के साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया।
- यूनिसेफ द्वारा 2005 से 2018 के बीच किये गये अध्ययन में 10 प्रतिशत लड़कियों को 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा।

देश में 2012 से पहले बाल यौन शोषण पर कोई स्पष्ट कानून नहीं था, जिसकी वजह से बच्चों से जुड़े अपराध के मामलों की कार्यवाई भारतीय दण्ड सहिंता के अन्तगर्त बलात्कार की धारा 375, 354

और अप्राकृतिक यौन अपराध की धारा 377 जैसी धाराओं के अन्तगर्त की जाती थी। वर्ष 2018 से पहले पुरुष वर्ग द्वारा जबरन या असहमति से किया गया शोषण बलात्कार कहलाता है। उन्हें आप्राकृति रूप से छूना आदि बलात्कार की श्रेणी में शामिल नहीं था इन्हीं को देखते हुए महिला और बाल अधिकार संस्थाओं ने कानून बदलने की माँग की। वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय में गंभीरता से मामलों को देखते हुए विशेष कानून बनाने की माँग की।

भारत ने 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार संविदा को स्वीकृति देते हुए तीन कानून पारित किये गये।

1 बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005

2 यौन अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्टो एक्ट)

3 किशोर न्याय (बालको की देख–रेख और संरक्षण अधिनियम, 2018)

cky ;kSu 'kks"k.k ds fo#) dkuu&

- बाल अधिकारों की रक्षा के लिये संयुक्त राष्ट्र अधिकार कन्वेशन (CRC) एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है जो सदस्य देशों को कानूनी रूप से बाल अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य करता है।
- भारत में बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के खिलाफ सबसे प्रमुख कानून 2012 में पारित यौन अपराध के खिलाफ बच्चों का संरक्षण कानून Pocso है। जिसमें अपराधों के तहत निर्धारित की गई है।
- यह कानून बाल यौन शोषण के अपराध के सन्दर्भ में पुलिस, मीडिया एवं डॉक्टर को भी दिशा निर्देश देता है।
- बच्चों के यौन शोषण और उत्पीड़न को रोकने के लिए वर्ष 2012 में पोक्सो एक्ट (Pocso Act) लागू किया गया परन्तु इससे वांछित परिणाम न मिलने के कारण इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पॉक्सो संशोधन विधेयक 2019 में लाया गया इस विधेयक में बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में मृत्युदण्ड का प्रावधान किया गया है। बच्चो के खिलाफ यौन अपराध और

बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए केन्द्र सरकार ने 1023 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने को मंजूरी दी गयी। अभी तक 18 राज्यों ने ऐसी अदालतों के गठन के लिए अपनी सहमति जतायी है।

ikLdk vf/kfu;e] 2012&

पोस्को अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन अपराधो से सुरक्षा प्रदान करने के लिये बनाया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों के हितों की रक्षा करना और उनका भविष्य सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम के तहत 18 साल की कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और हर स्तर पर बच्चों के हितों और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया गया है यह कानून लैगिंग समानता पर आधारित है।

इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के साथ वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्यवाई की जाती है व कानून के तहत अलग–अलग अपराध के लिये सजा का प्रावधान है।

leL;k dk dFku&

भारत देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है तथा विकास के ही इस दौर में बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार व शोषण की घटनाएँ देखने को मिलती है, इस प्रकार की घटनाएँ कोई नहीं है बल्कि इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को सदियों से विभिन्न रूपों में देखते आ रहे हैं जैसे– यौन उत्पीड़न, विकलांगता, अपभंग, मृत्यु, शारीरिक शोषण। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बालिका यौन शोषण की समस्याओं को दूर करने के लिए बालिका संरक्षण से जुड़े हुए जो भी कानून उपलब्ध है उनके कारण जो भी परिवर्तन दिखलाई पड़ते है इन परिवर्तनों को समझने में तथा बालिकाओं की समाज में स्थिति को समझने में मेरा यह अध्ययन सहायक सिद्ध हो सकता है।

v/;;u dk egRo&

अनुसन्धान कार्य की महत्वता को देखते हुए मेरा जो यह विषय है वह बालिकाओं पर हो रहे दुर्व्यवहार व शोषण जैसी घटनाओं को उसकी सम्पूर्णता में समझने में सहायक सिद्ध हो सकता है। किसी भी समाज के विकास के लिए यह आवश्यक है कि वह समाज शोषण व दुर्व्यवहार से रहित

हो। बालिकाओं के साथ ऐसी क्रूर मानसिकता वाली घटनाये खत्म नहीं होगी वह इस समाज में आगे नहीं बढ़ पायेगी तथा उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो उनको सम्पूर्ण जीवन को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा जो वर्तमान समय में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कानून तो बनाये गये लेकिन वह इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावकारी व संवेदनशील सिद्ध नहीं हुए है। बालिकाओं के साथ बढ़ते हुए अपराध यौन अपराध के अध्ययन के द्वारा उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार व शोषण की सम्पूर्ण समस्याओं को जानने का प्रयास किया जायेगा तथा समाज के सामने लाने का प्रयास किया जायेगा। यह अध्ययन इस दिशा में एक मात्र कदम है जो भविष्य में इस विषय पर शोध को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है।

lkfgR; iqujoykdu&

1 fQdyksj ¼1993½ लेखक ने अपने प्रपत्र बाल यौन शोषण से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया है जिसमें उनके साथ हुए गलत व्यवहार के पीछे कोई बहारी व्यक्ति नहीं होता है बल्कि पारिवारिकजन का कोई सदस्य होता है जो ऐसी क्रूर घटनाओं को अंजाम देता है। निष्कर्ष रूप से लेखक ने वर्णन किया है कि बाल योन शोषण की घटनाये सबसे ज्यादा परिवार में ही देखने को मिलता है।

2 dijj] ¼1995½ प्रस्तुत लेख में लेखिका ने भारत में कई हिस्सों में महिला व बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंधन है। जो लिंग आधारित असमानताओं, भेदभाव शोषण, उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, हिंसा अमानवीय मूल्यों और मानवाधिकारों का उल्लंधन होता है। जो लिंग आधारित पर लड़कियों का कन्या भ्रूण हत्या, यौन शोषण और शोषण वेश्यावृत्ति, बलात्कार और संरक्षण के उनके अधिकारों का खंडन किया जाता है।

3 cuthl ¼2001½ ने अपने शोध में वर्णित किया है कि बच्चों के साथ गलत दुर्व्यवहार पुरानी समस्या है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, सभी समाजों के बच्चे समान्य परिवेश की प्रक्रिया में उपेक्षित, दुर्व्यवहार, जानबूझकर या उनको माता—पिता द्वारा अन्याय, दुर्व्यवहार किये जाते हैं। देश में गरीब समाज के माता—पिता को अपने बच्चों का दुरुपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। भारत में पहले के समय

में बाल श्रम के सन्दर्भ में माता–पिता द्वारा बाल दुर्व्यवहार की अच्छी तरह से विनियमित सहिष्णुता को पारिवारिक इकाईयों के सांस्कृतिक लोकचार का एक अभिन्न अंग के रूप में प्रलेखित किया है।

4 bfy;V ¼2005½ लेखक ने अपनी पुस्तिका बाल दुर्व्यवहार में बच्चों के साथ हुए यौन क्रियाओं व पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया है जिसमें उन्हें धमकी के बल पर बहलाकर उनके साथ विधियों यौन दुर्व्यवहार किया जाता है। बचपन में हुए यौन गतिविधियाँ बच्चे के मन पर गलत प्रभाव डालता है जो उनके लिए अपमानजनक होता है।

4 lhiy **(2009)** ने अपने शोध प्रपत्र में बाल अपराधो को मानवाधिकारों का उल्लंधन माना है। लेखक ने वर्णित किया है कि ऐसे बच्चे जिनका मानसिक असन्तुलन व किसी अन्य शारीरिक कमी के कारण परित्याग कर दिया जाता है उनके प्रति होने वाले दुर्व्यवहार को भी बाल अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। प्रस्तुत शोध के अन्तर्गत लेखक ने वर्णनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। इस प्रपत्र का मुख्य उद्देश्य बाल अपराधों के पीछे होने वाले कारणों व इसके साथ ही इन अपराधों को रोकरने के लिए उपायों की खोज करना है। परन्तु निष्कर्ष तौर पर लेखक का मानना है कि अभी तक प्रशासन की ओर से जितने भी नियम कानून निर्मित किये गये हैं वे प्रभावशाली ढंग से इन आयामों को रोकने में सक्षम नहीं हुए हैं। अतः बालकों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिये एक प्रभावी प्रतिक्रिया को विकसित करने की गहन आवश्यकता है।

5 no] e[kth ¼2009½ लेखक ने अपने अध्ययन में बालिकाओं के व्यक्तित्व जीवन पर यौन शोषण के प्रभाव को समझना था। लेखक ने बताया कि यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित 120 लड़कियाँ और गैर यौन दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों के समूह से डेटा एकत्र किया जिसमें यह पता चला कि पीड़ित लड़कियों में 93.3 प्रतिशत परमाणु परिवार से आई थी। और उनमें से बड़ी संख्या में अनपढ़ थी। 14–17 वर्ष की आयु के बीच आधी लड़कियों के साथ यौन शोषण किया गया था और 1 तिहाई यौन उत्पीड़न 10–13 वर्ष की आयु में किया गया और 6–9 आयु के बीच बहुत कम उम्र में यौन उत्पीड़न किया गया वे ज्यादातर अजनबी व्यक्ति द्वारा किया गया और उसके बाद रिश्तेदारो और स्थानीय परिचतों द्वारा किया गया जिससे बालिका सामाजिक कलंक, उत्पीड़न और धमकी के

कारण पुलिस को घटनाओं की जानकारी नहीं देती है। जिससे दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों में अर्न्तमुखी गया जो आत्मरक्षा के लिये अधिक चिंतित थे।

6 efV;kuh ¼2011½ ने शोध में बच्चों के यौन दुर्व्यवहार पर किये गये अध्ययन जिनमें बाल पीड़िता के परिवारों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया है। जिसमें बच्चों के यौन उत्पीड़न की प्रक्रिया में सक्रिय है, जो बच्चों पर यौन शोषण के परिणामों का अध्ययन का उनके भविष्य पर प्रभाव पड़ा है। लेखक ने इस अध्ययन में शहर में बाल यौन शोषण के खतरे को कम करने के तरीके और साधन को सुझाया है।

7 dkjlu **(2013)** ने प्रस्तुत लेख में भारत में बाल यौन शोषण को गंभीर समस्या के रूप में देखा गया है क्योंकि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में इसे क्रूर एवं मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकारों की बात करता है जिसमें बच्चों के मानसिक व शारीरिक रूप से बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लेखक ने इस अध्ययन में भारत में नाबालिकों के साथ हो रहे यौन शोषण की घटना पर चर्चा करता है।

8 ifo=jk ¼2013½ ने अपने शोध अध्ययन में बाल यौन शोषण की समस्याओं का वर्णन किया है जिसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों से दुर्व्यवहार और शोषण किया जाता है। लेखक ने अपने शोध में वर्णनात्मक अध्ययन के आधार पर यह पता लगाया है कि यौन शोषण का अधिकांश हिस्सा बचपन में होता है। जिसमें अनाचार सबसे समान्य रूप है इस लेख में बाल यौन शोषण को अधिकांश परिवार सम्बन्धी लोगों से होने का वर्णन किया गया है।

9 e'dfeyu ¼2013½ ने अपने शोध प्रपत्र में बाल यौन शोषण विनाशकारी समस्या है जो लड़कियों को सबसे अधिक प्रभावी है। मैकमिलन का कहना है कि बाल यौन शोषण लड़कियों और वयस्क महिलाओं में आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के विकारों के लिए यह एक गैर विशिष्ट जोखिम का कारक है जो सबसे ज्यादा प्रभावकारी है।

10 iuokj ¼2014½ ने अपने प्रपत्र में बताया कि आज भी भारत के कई हिस्सों में कई समूह है जैसे कि बैगा, जहाँ वास्तविक कुलिन विवाह का प्रचलन है। इन गाँवों में 5 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चे

को सेक्स डोरमेटरी में शामिल किया जाता है। लेखिका ने अपने वर्णनात्मक अध्ययन में कहा कि कई बच्चे के साथ बचपन में हुई छेड़छाड़ के दौरान उनके साथ यौन शोषण किया गया था। जिन लोगों का साक्षात्कार लिया गया है उनमें ऐसी आबादी शामिल है जिसमें बेहद उच्च दर जैसे कि अपराधियों, वैश्याओं, आश्रमों में किशोर मनोवैज्ञानिक आदि शामिल है।

11 uk;u ¼2014½ ने अपने प्रपत्र में बाल यौन शोषण जीवनकाल के परिणामों के साथ एक सार्वभौमिक समस्या है। लेखक ने अपने अध्ययन के तहत देश के आधार पर अनुमान लगाया। इस अध्ययन का उद्देश्य (CSA) से सम्बन्धित परिणाम और मुद्दे का आंकलन करना था। (CSA) का प्रचलन भारत के साथ–साथ पूरे विश्व में अधिक पाया गया। यह एक व्यापक समस्या है और यहाँ तक कि सबसे कम प्रसार में पीड़ितों की एक बड़ी संख्या शामिल है। यह पीड़ित के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, व्यवहारिक और पारस्परिक कल्याण पर विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

12 lklk ¼2015½ लेखक ने अपने प्रपत्र में बताया कि भारत में बाल यौन शोषण सबसे ज्यादा प्रचलित व सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन इक्वाडोर और बेस्निया तक के सभी देशों में बाल यौन शोषण को देखा गया है। लेखक ने अपने सर्वेक्षण में चेन्नई में एक गैर सरकारी संगठन (NGO) पर अध्ययन में 76 प्रतिशत प्रतिभागियों ने अपने जीवनकाल में बाल यौन शोषण होने की सूचना दी। 2005 में इसी शहर के स्कूल में अध्ययन के आधार पर सर्वेक्षण किया जिसमें शारीरिक शोषण, यौन शोषण भी शामिल है। मौखिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक शोषण बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया गया।

13 cfyvlik ¼2015½ ने अपने शोध अध्ययन में बताया कि भारत सरकार ने 13 राज्यों में 2007 के सर्वेक्षण के आधार पर पता चला कि बाल दुर्व्यवहार के रूपों में मानव अधिकारों का उल्लंधन हुआ है। 2013 में राष्ट्रीय गुणात्मक अध्ययन में बाल यौन शोषण बच्चों की यौन दुर्व्यवहार पर सार्वजनिक प्रवचन पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। लेखक ने अपने निष्कर्ष में बताया कि हमें बच्चों को शिक्षा करने और शिक्षकों को प्रभावी ढंग से बाल यौन शोषण को सम्बोधित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

14 vftfy;u ¼2015½ लेखक ने अपने प्रपत्र में कहा है कि बाल शोषण दुनियाभर में मान्यता प्राप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक समस्या है। लेखक ने बताया विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, बाल यौन शोषण में शारीरिक, मानसिक उपेक्षा के शोषण को शामिल समस्या है। जब राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया तो बाल कुपोषण का ऑकड़ा निकला जिसमें पता चला कि दुनियाभर में लगभग एक चौथाई वयस्को (22.6) बच्चों को शारीरिक शोषण और 36.3 बच्चे भावनात्मक शोषण और 16.3 ने शारीरिक उपेक्षा का अनुभव किया जिसमें लड़कों और लड़कियों में कोई समान अन्तर नहीं है। लेखक ने अन्त में कहा कि दुनियाभर में लाखो बच्चों के जीवन पर प्रभावित करने वाली यह व्यापक और वैश्विक घटना है जो बाल अधिकारों का उल्लंधन है।

15 d|ekj ¼2015½ ने अपने प्रपत्र में बताया कि भारत में यौन शोषण एक अपराध है जो भारत में बाल यौन शोषण एक अपराध है जो भारत में गंभीर समस्याओं में से एक है। पिछले दो दशकों में, बच्चों में यौन रोगों के प्रसार में काफी तेजी से वृद्धि देखी गयी। केरल में अध्ययन करने के पश्चात् यह पता लगा कि 36 प्रतिशत लड़कों, 35 प्रतिशत लड़कियों के साथ बचपन में बाल यौन शोषण हुआ था। यौन शोषण का अनुमान लगाने के लिए 17,220 बच्चों और किशोरों में भारत सरकार द्वारा किये गये अध्ययन में सामने आया कि देश में हर दूसरा बच्चा यौन शोषण से प्रभावित होता है। लेखक ने निष्कर्ष रूप में कहा कि बाल यौन शोषण की समस्या को कम अस्पष्ट और अधिक कठोर दण्ड देने के माध्यम से सम्बोधित करने की आवश्यकता है।

16 vkdhykgk **(2016)** ने अपने शोध में बालिका दुर्व्यवहार को अप्राकृतिक रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लंधन माना है। लेखक ने वर्णित किया है कि बालिका के साथ शारीरिक शोषण, यौन शोषण, भावनात्मक शोषण अन्य रूपों के मामलों को प्रतिनिधित्व किया जिसमें लेखक ने वर्णनात्मक पद्धति का उपयोग किया है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य बाल अपराधों के पीछे का कारण एकांकी परिवार भी है जिसमें बालिकाओं के साथ अधिक दुरुपयोग होता है। निष्कर्ष तौर पर लेखक का मानना है कि बच्चों को मानसिक रूप से खुश रहना है।

17 d|yd.kh (2016) लेखक ने अपने प्रस्तुत शोध में बाल यौन शोषण को जघन्य अपराधो के रूप में वर्णित किया है जो एक गंभीर व व्यापक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। इन्हीं जघन्य अपराधो को देखते हुए सरकार ने पोस्को अधिनियम बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जिससे समाज में हो रहे क्रूर अपराधों के लिए अपराधी को दड़ित किया जा सके।

18 JhokLro ¼2017½ ने अपने प्रपत्र में बाल यौन शोषण की समस्या जो लम्बे समय से चली आ रही है। न्यूरोबायोलॉजिक विकासात्मक और मनोरोग सम्बन्धी समस्या है जो वर्तमान में मानसिक रूप से न्यूरोकेमिकल और न्यूरोबायोलॉजिकल रोग को प्रभावित करती है। लेखक ने अपने अध्ययन में बताया कि किसी बच्चे के साथ बाल यौन शोषण होता है वह जीवन में साइकौपैथोलॉजी और मनोरोग सम्बन्धी परेशानियों से जूझता रहता है।

19 l|B] JhokLro ¼2017½ ने अपने शोध प्रपत्र में बाल यौन शोषण की समस्या को पूरी दुनिया में भयानक महामारी के रूप में बताया है। शोधकर्ता ने बाल रोग विशेषज्ञों के साथ गहन अध्ययन करने पर यह अनुभव किया कि यौन दुर्व्यवहार उनके परिवार का सम्पर्क का पहला बिन्दु है जिसमें पीड़ित को दुर्व्यवहार होने के कारण पीड़ादायक स्थिति में देखा जाता है। शोधकर्ता ने अपने प्रपत्र में इस समस्या परर अध्ययन करके इसके परिणामों को जानने का प्रयास किया है।

20 pk/kjh ¼2018½ ने अपने शोध में बताया है कि बाल यौन शोषण एक मानवीय अधिकार मुद्धा है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य का चिन्ता का कारण बना हुआ है। जो बाल यौन शोषण में सुधार करने और परिवार समुदाय और सामाजिक कारकों को भारत में बाल यौन शोषण के निर्धारकों और अपराधियों का पता लगाने मत्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन किया है और इस लेख में लड़कियों के साथ हो रहे घिनौने अपराधों का विवरण दिया।

21 nckjkrh ¼2018½ ने अपने प्रपत्र में बताया है कि भारत में बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराधो के रोकथाम के लिए व उन्हें कानूनी सरंक्षण के लिए सरकार ने मोस्को अधिनियम 2012 में मान्यता दी गई जिसके तहत अपराधी को कानूनी रूप से सजा दी जाती है। इस अधिनियम के तहत बच्चों

को बचाने के उद्देश्य से यह अधिनियम बनाया, यह बाल यौन शोषण मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का भी प्रावधान है।

22 jkgeu ¼2019½ ने अपने लेख में 10 जनवरी 2018 को, भारत के उत्तर पश्चिमी जिले कठुआ में आठ साल की एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अपराध की भीषण प्रकृति ने देश में बलात्कार की व्यापकता और उसके बाद की राष्ट्रीय सरकारों की विफलता के कारण राष्ट्रीय और वैश्विक ध्यान आकर्षित किया और अपने बच्चों को पर्याप्त शारीरिक सुरक्षा प्रदान किया। घटना के बाद मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में ऐसी कई घटनाओं की घटना के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने के रूप में उभरा।

23 fl:g ¼2019½ प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका ने बाल शोषण के विभिन्न रूपो को दर्शाने का प्रयास किया है। जिसमें शारीरिक, मानसिक, यौनिक शोषण शामिल है। इस पुस्तिका के अन्तर्गत लेखिका ने बताया है कि भारतीय सामाजिक संरचना बालकों और बालिकाओं के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभुत्व नहीं रखती है जिससे कई बार उनकी समस्याओं को लेकर बहुत संवेदनशील नही हो पाती है। बालकों और बालिकाओं के शोषण को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम तो उठाये गये हैं लेकिन वह अभी तक बच्चों के साथ होने वाले शोषण को चाहे दो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक हो वह इस समस्या को दूर नहीं कर पाये है।

mís';&

1 शोषित बालिकाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

2 बालिकाओं पर हुए शोषण के कारणों का अध्ययन करना।

3 बालिकाओं के जीवन पर शोषण के कारण पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

4 बालिकाओं को शोषण से संरक्षण के लिए संविधान प्रद्त तथा सरकारों द्वारा किये गये प्रयासों की सार्थकता को जानने का प्रयास करना।

ifjdYiuk&

1 शोषित बालिकाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

2 शोषण के विभिन्न कारण जैसे बालिकाओं की कम उम्र आरोपी की क्षूद्र मानसिकता तथा समाज का लड़कियों के प्रति भेदभाव पूर्णव्यवहार है।

3 शोषण बालिकाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

4 बालिकाओं के शोषण को रोकने के लिए जो कानून उपलब्ध है वह इस समस्या के समाधान के लिए संवेदनशील या पर्याप्त नहीं है।

i)fr'kkL=&

v/;;u {k=& प्रस्तुत शोध अध्ययन में दो वर्ष से पन्द्रह वर्ष तक की लड़कियों को व छः वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के माता–पिता को अध्ययन की इकाई के लिए चयनित किया जायेगा जिन्हें पोक्सो एक्ट में पंजीकृत मुकद्दमों के विवरण के आधार पर लिया जायेगा। यह प्रस्तुत शोध अध्ययन आगरा जनपद के क्षेत्र सिकन्दरा, न्यूआगरा, एत्मादौला, हरीपर्वत, लोहामण्डी, एम.एस. गेट, सदन में रजिस्र्टड मुकद्दमों को चयनित किया जायेगा।

'kk"k.k ckfydkvk dk fooj.k

Ø-l-	{k=	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	सिकन्दरा	6	5	6	6	0	9
2	न्यू आगरा	2	1	5	2	3	3
3	एत्मादौला	8	6	12	9	19	20
4	हरीपर्वत	5	11	5	8	3	5
5	लोहामण्डी	5	5	7	9	4	7
6	एम.एम. गेट	1	1	1	2	1	0
7	सदर	6	10	6	11	12	11
	d|y ekey	33	39	42	47	42	55

कुल 258 मामले है।

स्त्रोत– सहायक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, आगरा।

'kk/k i:jpuk&

प्रस्तावित शोध हेतु अन्वेषणात्मक एवं व्याख्यानात्मक अनुसंधान अभिकल्प का प्रयोग किया जायेगा।

fun'ku&

प्रस्तुत शोध अध्ययन में आकस्मिक नमूना के अर्न्तगत उद्देश्यपूर्ण निदर्शन द्वारा अध्ययन के लिए पीड़ित बालिकाओं को इन चयनित क्षेत्रों के रजिस्टर (258) मामलों के आधार पर चयनित किया जायेगा।

rF;ksa dk L=ksr&

अध्ययन को पूर्ण करने के उद्देश्य से प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जायेगा। प्राथमिक तथ्यों का संकलन, साक्षात्कार अनुसूची, व्यक्तिगत अध्ययन विधि आदि की सहायता से किया जायेगा। द्वितीयक तथ्यों का संकलन प्रस्तुत पुस्तकें, पत्र–पत्रिकायें, अखबार, मैग्जीन, नेट आदि के माध्यम से किया जायेगा।

rF;ksa dk lEiknu] oxhZdj.k] fo'ys"k.k&

प्रस्तुत अध्ययन में तथ्यों को संकलित करने के पश्चात् उनकी प्रकृति के अनुसार विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जायेगा। अगले चरण में आँकड़ों को विभिन्न सारणियों में प्रस्तुत किया जायेगा और फिर तथ्यों का विश्लेषण किया जायेगा।

izLrkfor v/;k;hdj.k

izFke v/;k;

- प्रस्तावना
- शोध की समस्या
- अध्ययन का महत्व
- साहित्य पुर्नवालोकन
- अध्ययन के उद्देश्य
- अध्ययन की परिकल्पना

f}rh; v/;k;

- पद्धतिशास्त्र
- शोध प्रारूप

- अध्ययन का क्षेत्र
- निर्दशन
- तथ्यों का स्त्रोत
- तथ्यों का सम्पादन
- विश्लेषण
- सन्दर्भ ग्रन्थ

r'rh; v/;k;

- शोषित बालिकाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति।

prFk v/;k;

- बालिकाओं पर हुए शोषण के कारण।

i pe v/;k;

- बालिकाओं के जीवन पर शोषण के कारण पड़ने वाले प्रभाव।

''ाश्टम अध्याय

- बालिकाओं को शोषण से संरक्षण के लिए संविधान प्रद्त तथा सरकारों द्वारा किये गये प्रयासों की सार्थकता।
- निष्कर्ष

lUnHk xUFk &

1 Carson, David k. Foster, Jennifer. (2013). Child Sexual Abuse in India: Current Issues and Research, National Academy of Phychology (NAOP), India 2013. https;//www.researchgat.net/publication/271951215_child_in_India_18 Dec.2019

2 Perry, Anderea R. (2007), Child Sexual Abuse. https:www.reseachgate.net.publication/228725741_child_sexual_abuse.Dec. 2007.

3 Murray, Laura k. (2015), Child Sexual Abuse. https://www.ncbi.nim.nih.gov/pmc articles/pmc4413451 29 April 2015.

4 The long term effects of Child Sexual Abuse. CFCA paper no. 11-January 2013. Aifs.gov.av

5 Online Child Sexual Abuse and exploitation Guivelines for the Adoption of National Legistation in Latin America 2016. www.unodc.org

6 Seth, Rajeev. Srivastava, R.N. Child Sexual Abuse: Management and prevention, and protection of Children from Sexual offences (POCSO) Act. https://indianpediatuics.net.>Nov.(2017)

7 Wilktns, Robert (1990), Women who sexually Abuse Children. https://www.jmj.com>1153

8 Balan, C. (2016), Scientific Research Education in the Airforce. www.afahc.ro 7 afases>social>

9 Child Sexual Abuse. http://www.cybertip.ca/pdfs/c3p_child Sesual Abuse_itis your Business_en_pdf

10 Cepal. (2009), Child Abuse. https://repositorio.cepal.org>

11 Beliappa, JI. (2018), https://auimpremji university. Edu.in.

12 Finkelhar, David (1994), Current information on the scope and Nature of Child Sexual Abuse. The Future of Children Sexual Abuse of Children. Vol.4, No.2, www.unh.edu>ccrc>pdf

13 Iravani, Dr. Mohammad Reza (2011), Child Abuse in India, Payam Noor University (PNU), Esfahan, Iran, www.ccsenet.org/ass.vol.7, no.3; March 2011

14 Panwar, Arushi. (2019), Child Abuse in India. Vol. 6, Issue. 2, April-June 2019. Ijarar_issue_20543573pdf.

15 Joshi, Pratham (2018), Child Sexual Abuse in Context with India. International Journal of Low. Vol.4.www.lowjournals.org.

16 Gupta, Neha (2012), Child Abuse. Delhi. Psychiatry Journal. Vol. 15, No.2. Medinal.nic.in

17 Pauithra, D. Amy. (2013), IOSR Journal of Homanities Annual Social Science (TOSRJHSS) e-ISSN: 2279-0837p.issn:2279-0845, p.58-62, www.iorsrjournals.org.

18 Abubakar, M. & Okloho, J. (2016), Girls Child Abuse: implication for numanhool. Capital Journal of Education Studies. April 4(i) www.fetcoezuba.edu.ng.

19 Rohman, Wahida (2019), Child Rape in India. A Case study on kathua rape case. Scholar.google.com.

20 Choudhary, Vikas (2018), Child Sexual Abuse in India: A systematic revie. https://doi.org./10.1371/journal.pone.0205086. October 9, 2018

21 Sousa, de Avinash (2015), Indian Journal of Mental Helth 2 (i). https://www.researchgate.net>3091...

22 Singh, Dr. Priyanka (2019), Child Abuse in India, Blue Buck Publication, New Delhi

23 सिबनाथ देब, अपर्णा मुखर्जी (2009) जर्नल ऑफ द इण्यिन एकेडमी ऑफ एलांइट साइकोलॉजी 35 (I), 113–20, 2009, Medind.nic.in>jak

24 कुमार, नवीन सी., मठ, सुरेश बड़ा (2015) बाल यौन शोषण : युद्धों और चिंताओं, www.ijmr.org.in.

25 श्रीवास्तव, अमरेश के. (2017) औद्योगिक मनोरोग पत्रिका 26 (I), 4, 2017

26 अजिलियन, मरियम, (2015) इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पीडियाटिक्स 3(I.I) 353–365, 2015

27 बनर्जी, एस.आर. (2001) भारतीय बाल रोग 38 (10), 1163–1170, 2001

28 नायर, श्रीकुमार एन. (2014) जर्नल ऑफ फैमली मेडिसिन एण्ड प्राइमरी केयर 3 (4) 430, 2014